

अध्यादेश संख्या 4

विभागाध्यक्षों के कार्य और कर्तव्य

1. विभागाध्यक्ष विभाग का शैक्षणिक प्रमुख होगा और वह विभाग और पाठ्य समिति (बीओएस) की बैठकों को बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता की जाएगी।
2. विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत रहेंगे :
 - I. विभाग में शिक्षण और शोध कार्य आयोजित करना।
 - II. विभाग द्वारा आबंटित शिक्षण कार्य के अनुसार समय-सारिणी तैयार करना।
 - III. अध्यापकों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना।
 - IV. विभाग के अध्यापकों को ऐसे कार्य सौंपना जो विभाग के सुचारु कार्य के लिए आवश्यक हो।
 - V. विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मियों को कार्य सौंपना तथा उनके ऊपर नियंत्रण रखना।
 - VI. विभाग के शिक्षण और शोध के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए विभागाध्यक्ष की जबाबदेही होना।
 - VII. विभाग के रिकॉर्ड, उपकरणों और फर्नीचरों तथा विभागीय पुस्तकालय के लिए विभागाध्यक्ष की जबाबदेही होना।
 - VIII. विभाग के बजट का प्रचालन करेगा।
 - IX. अधिष्ठाता, संबंधित स्कूल बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

ORDINANCE NO: 4

FUNCTIONS & DUTIES OF THE HEADS OF THE DEPARTMENTS

1. The Head of the Department shall be the academic head of the Department and shall convene and preside over the meetings of the Department and the Board of Studies.
2. The Head of the Department shall under the general supervision of the Dean:
 - (i) Organize the teaching and research work in the Department.
 - (ii) Frame the time table in conformity with allocation of the teaching work made by the Department.
 - (iii) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through the teachers.
 - (iv) Assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department.
 - (v) Assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department.
 - (vi) Be responsible for the coordination and supervision of teaching and research in the Department.
 - (vii) Be responsible for the records, equipment and furniture of the Department and the books of the Departmental Library.
 - (viii) Operate the Budget of the Department
 - (ix) Perform such other functions as may be assigned by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council and the Vice-Chancellor.